

उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग पर नीति तैयार किये जाने की उ.प्र. राज्य की पहल

उत्तर प्रदेश, प्रचुर जल संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद, सिंचाई, घरेलू, औद्योगिक और बिजली क्षेत्रों की बढ़ती माँग के कारण बढ़ती कमी का सामना कर रहा है, और जनसंख्या वृद्धि के साथ इस समस्या के और बढ़ने की संभावना है। हालाँकि राज्य में भारत की 16.17% जनसंख्या, नवीकरणीय जल संसाधनों का 20.80% और भूमि क्षेत्र का 7.33% हिस्सा है, फिर भी जल वितरण असमान बना हुआ है, जिससे बाढ़ और सूखे की घटनाएँ अक्सर होती रहती हैं। वर्तमान में, उपयोग किए गए जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पुनः उपयोग किया जाता है, हालाँकि अतिरिक्त उपचार क्षमता की योजनाएँ बनाई जा रही हैं। उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग पर राज्य नीति का उद्देश्य मौजूदा स्थिति का संज्ञान लेना और दिशानिर्देशों, कानूनों और संस्थानों की रूपरेखा बनाने और एकीकृत राज्य के दृष्टिकोण के साथ कार्य योजना के लिए नीति प्रस्तावित करना है।

अतः राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा एन.एम.सी.जी. के राष्ट्रीय ढांचे (नेशनल फ्रेमवर्क ऑन सेफ रियूज ऑफ ट्रीटेड वाटर)) और व्यापक हितधारक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विशिष्ट संदर्भ के अनुरूप तैयार की गई राज्य एस.आर.टी.डब्ल्यू. नीति के ड्राफ्ट का अनुमोदन राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा दिनांक 23.03.2026 को प्रदान कर दिया गया है। राज्य नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:

- सीवेज के संग्रहण और उपचार को अधिकतम करने और उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने, ताजे पानी पर निर्भरता को कम करने और उपचारित अपशिष्ट जल को एक आर्थिक संसाधन के रूप में बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है, जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- नीति का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में घरों और व्यावसायिक उद्यमों से निकलने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) से निकलने वाले उपचारित नगरपालिका के उपयोग किए गए जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समान ढाँचा और मार्गदर्शन प्रदान करना है।
- उपचारित औद्योगिक अपशिष्ट के पुनः उपयोग को इस नीति में नहीं लिया गया है।
- यह नीति शहरी, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एसआरटीडब्ल्यू के संभावित गैर-पेय अंतिम उपयोगों के एक व्यापक, चरणबद्ध तरीके से कवर करेगी। जैसे चरण-I में: नगरपालिका उपयोग, पर्यावरण, निर्माण, एसटीपी परिसर के भीतर साइट पर उपयोग, चरण-II में: उद्योग, बिजली उत्पादन और रेलवे, कृषि, वानिकी और बागवानी, जलभृत पुनर्भरण और चरण-III में: दोहरी पाइप प्रणाली द्वारा उपयोग किए गए पानी की आपूर्ति द्वारा गैर-पेय घरेलू उपयोग।
- नीति के ड्राफ्ट में 'अपशिष्ट जल' के स्थान पर 'प्रयुक्त जल' शब्द को अपनाया गया है तथा उपचारित प्रयुक्त जल (टी.यू.डब्ल्यू.) को 'अपना जल' या 'हमारा जल' कहा गया है।

- चरणबद्ध तरीके से अल्प से मध्यम अवधि के लक्ष्यों का प्राविधान किया गया है: जहाँ एसटीपी चालू हैं और संग्रहण एवं उपचार क्षमता पहले से मौजूद है, वहाँ 2030 तक 50% अपशिष्ट जल का और 2035 तक 100% अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाएगा। जहाँ उपचार एवं संग्रहण सुविधाएँ अभी उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ 2030 तक 30%, 2035 तक 50% और 2045 तक 100% अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाएगा।
- ड्राफ्ट में विभिन्न विभागों/हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित है।
- उत्तर प्रदेश सरकार के नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया है।
- नीति के ड्राफ्ट में विभिन्न उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग हेतु जल गुणवत्ता मानकों के खंड, कार्यान्वयन और प्रवर्तन तंत्र, परियोजनाओं का वित्तपोषण, मूल्य निर्धारण और व्यावसायिक मॉडल, जल संसाधन परियोजनाओं पर प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं।
- ड्राफ्ट नीति में “उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग” से पड़ने वाले संभावित प्रभाव व जन उपयोग पर भी प्रकाश डाला गया है जैसे: जल सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ, पर्यावरणीय लाभ, सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ, नवाचार और तकनीकी उन्नति, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि, ऊर्जा उपयोग में कमी, जलवायु उत्सर्जन में कमी, तथा रोजगार सृजन आदि।